कार्यालय प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,.कौशाम्बी

ई–मेल:asmckaushambi22@gmail.com वेबसाइट:www.asmckaushambi.in

पत्रांकः-ए0एस0एम0सी/कौशाम्बी/2024–25/1931 दिनॉकः 16 जनवरी 2025

–:विज्ञप्ति:–

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कौशाम्बी के विभिन्न विभागो मे संविदा के आधार पर आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदो को भरे जाने हेतु विज्ञप्ति।

एन0एम0सी0/एम0सी0आई0 मानको की पूर्ति हेतु स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कौशाम्बी के रिक्त पदो पर संविदा (Contractual) के आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। इन पदो पर चयन, चयन समिति के द्वारा वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से किया जायेगा।

उक्त साक्षात्कार विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से प्रत्येक बुधवार (अवकाश दिवस छोडकर) को स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कौशाम्बी में पूर्वान्ह 11.00 बजे से आयोजित किया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थियो से यह अपेक्षा की जाती है कि साक्षात्कार हेतु अपने समस्त शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, शोध प्रमाण पत्र एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त आरक्षण प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रतियों के एक सेट एवं उपरोक्त लिखित मूल प्रमाण पत्रो सहित उपस्थित हों।

आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है।

S. N.	Name of Specialty	Professor		Associate Professor		Assistant Professor	
		No.of Posts	Category	No.of Posts	Category	No.of Posts	Category
1	Orthopedics	01	SC	01	SC	01	SC
2	Ophthalmology	01	UR	01	SC	-	-
3	Obstetrics and Gynecology	01	SC	01	UR	-	-
						-	-
4	Anatomy*	01	OBC	-	-	-	-
						01	OBC
5	Anesthesiology	01	UR	01	UR	01	UR
						01	OBC
						01	OBC
6	Oto-rhino-Laryngology	01	OBC	01	OBC	-	-
7	Community Medicine	01	UR	01	UR	01	SC
				01	SC	01	UR
	RHTC	-	-	-	-	01	SC
	UHTC	-	-	-	-	01	UR
	Statistician	-	-	-	-	01	OBC
8	General Medicine	01	SC	01	UR	01	OBC
				01	UR	01	UR
						-	-
				01	OBC	01	UR
9	General Surgery	01	UR	01	UR	-	-
				01	OBC	-	-
						-	-
				01	OBC	-	-
10	Dermatology, Venereology and Leprosy	--	--	01	SC	--	--
11	Pediatrics	01	SC	01	OBC	01	OBC
12	Pathology	01	UR	01	UR	01	OBC
				-	-	01	EWS
						01	SC
13	Pharmacology*	01	OBC	01	SC	-	-
						01	OBC
14	Physiology*	-	-	01	UR	-	-
						01	SC
15	Forensic Medicine	01	UR	01	OBC	01	UR
16	Biochemistry*	01	UR	01	OBC	-	-
						-	-
17	Microbiology*	01	OBC	-	-	01	UR
						01	SC
18	Radio diagnosis	01	EWS	01	OBC	01	SC
19	Psychiatry	--	--	01	EWS	--	--

*This Department already have MSc PhD faculty as per NMC rules hence MSc PhD Candidates need not Apply.

संविदा पर नियुक्ति की शर्ते निम्नवत है:–

संविदा पर तैनात होने वाले अभ्यर्थी की संविदा अवधि 06 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने, जो भी पहले घटित हो, तक ही मान्य होगी। नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर कार्यकाल को पुनः बढ़ाया जा सकता है। नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।

1. शासनादेश संख्या 104/2019/5044/71–1–18–जी–63/2018, दिनांक 21.11.2019 एवं प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 द्वारा जारी शासनादेश संख्या–109/2024/176/71–1–20241/71–1001/804/2020 दिनांक 18 जुलाई 2024 मे पूर्व सें निर्धारित नियत मानदेय मे पुनर्निर्धारित नियम मानदेय आचार्य–220000/– सहआचार्य–160000/– एवं सहायक आचार्य–120000/– संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक को देय होगा। इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्तें शासन द्वारा समय–समय पर पूर्व में निर्गत भिन्न–भिन्न शासनादेशानुसार होगी।
2. इस हेतु आवेदक को Medical Council of India/National Medical Commission] Minimum Qualification for Medical Teachers in Medical Institutions Regulations] 1998 द्वारा निर्धारित समय–समय पर जारी संशोधन/नोटिफिकेशन के अनुसार अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
3. साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
4. आरक्षण सम्बन्धी 100 बिन्दुओं का रोस्टर/शासनादेश संख्या – 50/2019/4/1/2002 का–2 /2019 टी०सी०–1, दिनांक 13.08.2019 का अनुपालन मान्य होगा। यदि किसी विशिष्टता में कैटगरी का अर्ह अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होता है, तो उक्त पद का अन्य कैटेगरी के उपलब्ध अर्ह अभ्यर्थी के द्वारा नियमानुसार भरा जायेगा।
5. शासनादेश संख्या–562/71–1–2020–जी–63/2008 दिनांक 10 जून, 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य – 60 वर्ष, सह आचार्य –64 वर्ष, आचार्य –68 वर्ष होगी।
6. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालवधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होगा।
7. संविदा चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमतीकरण के लिए हकदार नहीं होंगे।
8. अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के समय इस आशय का घोषणा पत्र प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरूद्ध माननीय न्यायालय में कोई आपराधिक वाद प्रचलित नहीं है। यदि उनके विरूद्ध प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
9. पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
10. नियमित चिकित्सा शिक्षकों के नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या –ए0एस0एम0सी/कौशाम्बी/2024–25/1196 दिनांक 09.10.2024 द्वारा विभागीय वेबसाइट तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण की वेबसाइट के साथ विभिन्न समाचार पत्रो पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। नियमित चिकित्सा शिक्षको के चयन होने तक संविदा चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी।

नोट :– विज्ञापित प्रकाशित होने की तिथि से रिक्त पद भरे जाने तक प्रत्येक बुधवार (अवकाश दिवस छोड़कर) को पूर्वान्ह 11:00 बजे से साक्षात्कार स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय कौशाम्बी में आयोजित किया जायेगा।

H.K. Singh

प्रधानाचार्य
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
कौशाम्बी।

पृष्ठांकन :ए0एस0एम0सी0/कौशाम्बी/2024–25/ 1931 **तद्दिनॉक:**

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, छठवाँ तल, उ०प्र० लखनऊ।
3. आयुक्त, प्रयागराज मण्डल प्रयागराज।
4. जिलाधिकारी, कौशाम्बी।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कौशाम्बी।
6. सूचना पट्ट स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कौशाम्बी।
7. गार्ड फाईल।

H.K. Singh

प्रधानाचार्य
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
कौशाम्बी।